



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939

No. 714]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि.1040(अ).— केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 के नियम 37 के उपनियम (2) में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. टी एफ सी /4/2016]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. 165 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2017

G.S.R.1040(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely.-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, in rule 37, in sub-rule (2), for the words “six months”, the words “one year” shall be substituted.

[F. No. TFC/4/2016]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

Note .- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.165 (E), dated the 23rd February, 2017.